फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत.............................उपखण्ड अधिकारी.............................मुकाम.............................
.........इदरीश.........वनाम.........सरकार.............................किस्म मु0...........
.............................मिसल न0.........106/2025.............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोहुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संवल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी इदरीश पुत्र वावू खां ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम प्रार्थी ईररीश पुत्र बाबूखाँ नि0 आमलदा नाम दर्ज है। जमांवदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खाता सख्या 9 खसरा नबर 188, 253, 260, 280 में काश्तगांर का नाम ईररीश पुत्र बाबूखाँ दर्ज है। जिसकी शुद्दि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम ईररीश पुत्र वाबूखाँ के स्थान पर इदरीश पुत्र बाबू खां दर्ज किया जावे। आज दिनाक ....18/11/25.... को सरे इजलास सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	